3

न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, जयपुर

पीठासीन अधिकारी :– श्री सेवाराम स्वामी, आर.ए.एस.

राजस्व अपील संख्या :–40/2007

1. रामनाथ फोत
2. 1/1 श्रीमति ग्यारसी फोत
3. 1/1/1 सत्यनारायण पुत्र स्व0 गंगा राम जाति जाट निवासी–खूसर तहसील सांगानेर जिला जयपुर

2–गंगाराम फोत

2/1 श्रीमति ज्याना देवी पत्नि स्व0 गंगा राम जाट निवासी–खूसर तहसील सांगानेर जिला जयपुर

2/2 मेघराज

2/3 सत्यनारायण पुत्रान स्व0 गंगाराम जाट

2/4 शांती

2/5 सुमित्रा

2/6 तुलसी पुत्रियान स्व0 गंगाराम जाट निवासी खूसर तहसील सांगानेर तिजला जयपुर

3–मुकेश

4–लक्ष्मण

5 पुष्कर

6–तेजप्रकाश

7–प्रहलाद पुत्रान स्व0 झूथा जाट निवासी–खूसर तहसील सांगानेर जिला जयपुर

राजस्व अपील प्राधिकारी
जयपुर

8–श्रीमति भोली देवी पत्नि स्व0 श्री झूथा जाट निवासी–खूसर तहसील सांगानेर जिला जयपुर

अपीलान्ट्स

बनाम

1. मोहन सिंह पुत्र रामचन्द्र, जाति दरोगा, निवासी चित्तौड़ा, तहसील फागी जिला जयपुर
2. मनमोहन सिंह पुत्र रामचन्द्र जाति दरागा निवासी– चित्तौडा तहसील फागी जिला जयपुर।
3. सुगनी देवी पत्नी स्व. रामचन्द्र
4. उर्मिला पुत्री स्व0 रामचन्द्र
5. शारदा देवी पत्नी स्व0 हनुमान
6. भावना पुत्री स्व. हनुमान नाबालिग जरिये वली माता श्रीमति शारदा
7. प्रिया पुत्री स्व0 हनुमान नाबालिग जरिये वली माताश्रीमती शारदा जातियान दरोगा निवासी–चितौडा तहसील फागी जिला जयपुर हाल नि0 ए–15,गणेश पथ सोडाला, जयपुर
8. जगदीश पुत्र स्व0 गोपाल निवासी ग्राम चित्तौड़ा, तहसील फागी
9. लक्ष्मण पुत्र स्व. श्री गोपाल निवासी–ग्राम चित्तौडा तह0 फागी जिला जयपुर
10. कैलाश पुत्र स्व0 श्री गोपाल निासी– चितौडा तहसील फागी जिला जयपुर
11. सीता देवी पत्नी स्व. गोपाल जाति दरोगा, निवासी चित्तौड़ा, तहसील फागी जिला जयपुर।

12–भंवर लाल फोत

12/1 श्रीमति प्रेमदेवी पत्नि स्व0 भंवर लाल जाति दरोगा निवासी–चितौडा तहसील फागी जिला जयपुर

12/2 कालू पुत्र स्व0 भॅवर लाल जाति दरोगा निवासी–चितौडा तहसील फागी जिला जयपुर

12/3 गीता पुत्री स्व0 भॅवर लाल जाति दरोगा निवासी–चितौडा तहसील फागी जिला जयपुर

राजस्व अपील प्राधिकारी
जयपुर

13 श्योजीराम पुत्रान स्व. बद्री, जाति दरोगा निवासी चित्तौड़ा,तहसील फागी जिला जयपुर

14 सीताराम फोत

14/1 श्रीमति प्रेम देवी पत्नि स्व0 सीता राम जाति दरोगा निवासी–चितौडा तहसील फागी जिला जयपुर

15–नवल किशोर पुत्र सुमेर सिंह राजपूत निवासी चित्तौड़ा तह0 फागी जि0जयपुर

16– सुरेन्द्र सिंह पुत्र सुमेर सिंह जाति राजपूत निवासी चित्तौडा तहसील फागी जिला जयपुर

17– जगदीश सिंह पुत्र सुमेर सिंह निवासी चित्तौड़ा तहसील फागी जिला जयपुर

18– शेरसिंह फोत

18/1– श्रीमति हिंगा देवी सिंह पत्नि स्व0 श्री शेर सिंह जाति राजपूत निवासी–चितौडा तहसील फागी जिला जयपुर

18/2– डा0 अशोक सिंह पुत्र स्व0 शेर सिंह जाति राजपूत निवासी–चितौडा तहसील फागी जिला जयपुर

18/3– अजय सिंह पुत्र स्व0 शेर सिंह जाति राजपूत निवासी–चितौडा तहसील फागी जिला जयपुर

19–रघुवीर सिंह पुत्र स्व. देवीसिंह जाति राजपूत निवासी चित्तौडा तहसील फागी हाल निवासी 91 धूलेश्वर बाग, अजमेर रोड़ जयपुर।

20–दशरथ सिंह पुत्र स्व. श्री देवीसिंह जाति राजपूत निवासी चित्तौडा हाल निवासी धूलेश्वर बाग, अजमेर रोड, जयपुर।

21– मानदाता सिंह पुत्र स्व. देवीसिंह जाति राजपूत निवासी चित्तौडा हाल निवासी धूलेश्वर बाग, अजमेर रोड, जयपुर।

22– श्रीमती बीनाकुमारी पत्नि स्व0 श्री महेन्द्र प्रताप सिंह निवासी चित्तौडा, हाल निवासी 91, धूलेश्वर बाग अजमेर रोड, जयपुर।

23– देवेन्द्र सिंह पुत्र दशरथ सिंह निवासी 91 धुलेश्वर बाग अजमेर रोड़ जयपुर।

राजस्व अपील प्राधिकारी
जयपुर

24— तहसीलदार तहसील फागी जिला जयपुर।

——रेस्पोडेंट्स—

उपस्थित अधिवक्तागणः—

1—श्री हनुमान चौधरी अपीलांट की ओर से।

2—श्री ज्ञानेश्वर बाढदार रेस्पोडेंट की ओर से।

:— निर्णय :— दिनांक :—09—11—2017

1— यह अपील अन्तर्गत धारा 223 राज.टी.एक्ट. विरूद्ध निर्णय व डिक्री दिनांक 30.9.2002 द्वारा उपखण्ड अधिकारी फागी मु. न. 56/2001 उनवानी रामचन्द्र बनाम नवलसिंह वगैराह प्रस्तुत की गई है।

2— संक्षिप्त में तथ्य इस प्रकार है कि आराजी खसरा नम्बर 124 से 144 व 145 कुल किता 22 कुल रकबा 36 बीघा 10 बिस्वा वाके ग्राम चित्तौड़ा तहसील फागी जिला जयपुर में स्थित है जिसे पूर्व रिकॉर्डेड काबिज खातेदार काश्तकार रेस्पोडेंट नवल सिंह, सुरेन्द्र सिंह, जगदीप सिंह, पुत्रान स्व. सुमेर सिंह, शेर सिंह, रघुवीर सिंह, दशरथ सिंह, मानदाता सिंह पुत्र ठा. देवीसिंह व श्रीमती बीना कुमारी बेवा महेन्द्र प्रताप सिंह जाति राजपूत निवासी ग्राम चित्तौड़ा बहिस्सा बराबर के रिकॉर्डेड काबिज काश्तकार खातेदार थे। जिसमें से दशरथ सिंह पुत्र ठा. देवीसिंह का उक्त विवादित भूमि किता 22 कुल रकबा 36 बीघा 10 बिस्वा में उसका सम्पूर्ण 1/6 हिस्सा जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र दिनांक 22—10—1999 को अपीलान्ट नम्बर 2 गंगाराम को विक्रय किया जिसके आधार पर नामान्तकरण संख्या—1222 दिनांक 17—02—1999 केता के हक में स्वीकार हुआ है। इसी प्रकार देवेन्द्र सिंह पुत्र दशरथ सिंह ने उक्त आराजियात में अपना सम्पूर्ण 1/18 हिस्सा जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र दिनांक 22—10—1999 को रामनाथ व झूंथा पिसरान कल्याण जाट अपीलान्ट को विक्रय कर दिया जिसके आधार पर नामान्तकरण संख्या—1221 दिनांक 17—12—1999 को अपीलांट रामनाथ व झूंथा के नाम से स्वीकार होकर उक्त क्रयशुदा भूमि के रिकॉर्डेड काबिज खातेदार काश्तकार है। इसी प्रकार रघुवीर सिंह पुत्र ठा. देवी सिंह ने जरिये मुख्तयार आम दशरथ सिंह ने अपना उक्त आराजियात में सम्पूर्ण 1/6 हिस्सा जरिये रजिस्टर्ड विक्रयपत्र दिनांक 22—10—1999 को अपीलान्ट रामनाथ व झूंथा पिसरान कल्याण जाट को विक्रय कर दिया जिसके आधार

राजस्व अपील प्राधिकारी
जयपुर

पर नामान्तकरण संख्या 1224 दिनांक 17–12–1999 को नाम स्वीकार होकर अपीलान्ट रामनाथ व झूंथा उक्त क्रयशुदा भूमि के रिकॉर्डेड खातेदार काश्तकार हो चुके हैं। इसी प्रकार मानदाता सिंह पुत्र ठा. देवी सिंह का उक्त आराजीयात में 1/6 हिस्सा जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र दिनांक 22–10–1999 को अपीलान्ट गंगाराम पुत्र कल्याण जाट ने क्रय कर लिया था। जिसके आधार पर नामान्तकरण संख्या– 1223 दिनांक 17–12–1999 को अपीलान्ट गंगाराम के नाम स्वीकार होकर अपीलान्ट उक्त क्रयशुदा भूमि के रिकॉर्डेड काबिज खातेदार व काश्तकार हो चुके हैं तथा उनकी उक्त क्रयशुदा भूमि 20 बीघा 06 बिस्वा पर अपीलान्ट काबिज है तथा शेष हिस्सा रेस्पोडेंट सुरेन्द्र सिंह व जगदीप सिंह पुत्र सुमेर सिंह का 1/9 हिस्सा व शेर सिंह का 1/6 हिस्सा व बीना कुमारी का 1/6 हिस्सा कुल 4/9 हिस्सा पूर्व खातेदारों के पास शेष रहा जो 15 बीघा 04 बिस्वा शेष रहा। इस आराजियात के सबंध में पूर्व में श्रीमती बीना कुमारी ने अपना 1/6 हिस्सा स्वीकार करते हुए एक दावा अपीलान्ट व अन्य शेष सह–कृषकों के खिलाफ तकासमा व स्थाई निषेधाज्ञा को पेश किया जो दिनांक 28–05–2003 को न्यायालय ए.सी.एम जयपुर के यहां से खारिज हो चुका है। इसके पश्चात् रेस्पोडेंट (मृतक) रामचन्द्र ने एक दावा इस्तकरार हक व स्थाई निषेधाज्ञा का दिनांक 23–05–2001 को इस आशय का पेश किया कि उक्त विवादित आराजीयात खसरा नम्बर–130 रकबा 01 बीघा, खसरा नम्बर– 131 रकबा 05 बिस्वा, खसरा नम्बर 132 रकबा 18 बिस्वा, खसरा नम्बर 133 रकबा 19 बिस्वा, खसरा नम्बर 136 रकबा 01 बीघा 16 बिस्वा, खसरा नम्बर 137 रकबा 2 बीघा 2 बिस्वा, कुल किता 7 कुल रकबा 8 बीघा 16 बिस्वा वाके ग्राम चित्तौडा तहसील फागी जिला जयपुर में स्थित है जो वादी (रामचन्द्र) व प्रतिवादी नम्बर 13 व 14 (बद्री व गोपाल) 1964 के पूर्व से लेकर आज तक मुतबातिर काबिज रहकर काश्त करते चले आ रहें हैं तथा पूर्व मुकदमा जसकंवर बनाम बद्री दिनांक 20–08–1974 को राजीनाम प्रस्तुत हुआ। उनवानी वाद राजीनाम के आधार पर दिनांक 10–02–1975 की इजराय दिनांक 16–01–1996 को प्रस्तुत की जिसके आधार पर वादी को खातेदार घोषित किया। जिससे जानकारी होने पर यह दावा पुनः इस्तकरार हक व स्थाई निषेधाज्ञा पेश करना पड़ा। उक्त वाद में अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलान्ट के रामनाथ, गंगाराम व झूंथा पुत्रान कल्याण जातियान जाट के नाम नोटिस दिनांक

राजस्व अपील प्राधिकारी जयपुर

4–6–2001 को जारी किये तथा आगामी तारीख पेशी दिनांक 23–06–2001 नियत की। जिसका अपीलान्ट के सम्मनों पर दो गवाहान कैलाश चन्द्र पुत्र रामचन्द्र जाट एवं भागीरथ पुत्र किशना जाट क्रमशः अंगूठा निशानी एवं हस्ताक्षर तामील कुनिन्दा ने फर्जी तौर पर अंकित कर दिये। नोटिस में आसामी घर पर नहीं मिला अतः एक प्रति उसके मकान पर चस्पा की गई, अंकित किया गया है। उक्त कैलाश चन्द्र पुत्र रामचन्द्र जाट निवासी खूसर पढ़ा लिखा है। जिसकी अंगूठा निशानी की है तथा भागीरथ पुत्र किशना जाट नाम का ग्राम खूसर में कोई व्यक्ति नहीं है। अपीलान्ट के खिलाफ एकतरफा करके शेष रेस्पोडेंट की एकतरफा तामील मानकर एक पक्षीय निर्णय व डिक्री दिनांक 30–9–2002 को पारित किया जिसकी जानकारी सर्वप्रथम दिनांक 01–02–2007 को जब अपीलान्ट रामनाथ ने जब अपनी क्रयशुदा भूमि की जमाबन्दी की नकलें लेने पटवारी हल्का चित्तौडा के पास किसान क्रेडिट कार्ड बनवाने हेतु गया तब पटवारी हल्का चित्तौड़ा से जमाबन्दी की नकल ली तो उसमें खसरा नम्बर –131, 132, 133, 135, 136, 137, 130 कुल किता 7 रकबा 8 बीघा 16 बिस्वा भूमि अपीलान्ट की खातेदारी से कम मिली तथा प्रतिवादी नं. 9 जगदीश ने कहा कि जमीन हमाने नाम है हम विक्रय करेगें तथा उक्त क्रयशुदा एवं कब्जेशुदा भूमि की रेस्पोडेंट रामचन्द्र ने गलत अवैध एवं कानूनी प्रावधानों के विपरीत अपीलान्ट के विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही करके दिनांक 30–9–2002 को निर्णय व डिक्री करवाली। उसके पश्चात् रामचन्द्र गोपाल व बछी दरोगा फौत हो चुके है जिनके रेस्पोडेंट नम्बर 01 लगायत 15 कायम मुकाम है तथा अपीलान्ट झूंथा भी फौत हो चुका है जिसके अपीलान्ट नम्बर 03 लगायत 09 उसके वारिस एवं उत्तराधिकारी है। उक्त निर्णय व डिक्री एकपक्षीय में अपीलान्ट की क्रयशुदा भूमि में से 08 बीघा 16 बिस्वा भूमि कम कर दी हैं जिससे वे पीड़ित पक्षकार है तथा उक्त कथन करते हुए अपीलान्ट द्वारा, निर्णय व डिक्री दिनांक 30–09–2002 के विरूद्ध यह अपील प्रस्तुत की गई है।

3– अपील दर्ज रजिस्टर की गई। रेस्पो0 को जरिये नोटिस के तलब किया गया। अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली प्राप्त कर उभय पक्ष की बहस सुनी गई।

4–अधिवक्ता अपीलान्ट्स द्वारा अपनी बहस में अपील मीमों में वर्णित कथन को दोहराते हुए सर्वप्रथम प्रार्थना–पत्र धारा 5 पर कथन किया कि अपीलाधीन

राजस्व अपील प्राधिकारी
जयपुर

निर्णय व डिक्री दिनांक 30–09–2002 एकतरफा में पारित की गई है जिसकी जानकारी अपीलान्ट को दिनांक 01/02/2007 को किसान क्रेडिट कार्ड के लिये नकल लिये जाने पर हुई। दिनांक 02/02/2007 को अपीलाधीन निर्णय व डिक्री की नकल के लिये आवेदन प्रस्तुत किया है तथा दिनांक 16–02–2007 को जानकारी मिली कि पत्रावली रिकॉर्ड में जमा हो चुकी है तत्पश्चात रिकार्ड से दिनांक 24–02–2007 को निर्णय व डिक्री की नकल मिलने पर दिनांक 26–02–2007 को अपील प्रस्तुत कर दी गई है अतः जानकारी के अभाव में विलम्ब को माफ किया जावे। अपीलान्ट द्वारा कथन किया गया कि वे भूमि के बोनाफाईड परचेजर है तथा अपीलाधीन निर्णय बिना सुने तथा बिना तामील कराये पारित किया गया है जो निरस्त किया जावे।

5– अधि0 रेस्पो0 द्वारा अपनी बहस में सर्वप्रथम प्रार्थना–पत्र धारा 5 पर कथन किया गया कि प्रार्थना–पत्र में वर्णित तथ्य गलत दर्ज किये है अपीलान्ट गंगा राम ने दिनांक 25–04–2006 को कोटिक महिन्द्रा बैंक से लोन लिया था उस समय रेस्पोडेंटस डिक्रीदार का जमाबंदी में इन्द्राज हो चुका था जिसकी जानकारी गंगा राम व अन्य को शुरू से रही है दिनांक 25–04–2006 को बैंक के पक्ष में रहन का नामान्तकरण भी खुला है जिसकी जानकारी अपीलान्ट को रही है। रेस्पोडेंट डिक्रीदार के नामान्तकरण 2004 से पूर्व ही खुल गया था उसके पश्चात उनके वारिसान के नाम भी सन 2004 व 2005 में नामान्तकरण खुले है जिनकी जानकारी अपीलान्ट को रही है इसलिये अपील जानबूझकर मियाद बाहर प्रस्तुत की गई है जो मियाद के आधार पर ही खारिज किये जाने योग्य है। अपील के गुणावगुण पर कथन करते हुए अधिवक्ता रेस्पोडेंट ने कथन किया कि भूमि वादग्रस्त पूर्व में माफी जसकंवर के नाम थी तथा रेस्पोडेंट्स जसकंवर के समय से ही वादग्रस्त भूमि पर काबिज काश्त रहे है। अपीलान्ट द्वारा जसकंवर के वारिसो से दिनांक 22/10/1999 को भूमि क्रय की गई है। भूमि के संबंध में एक दावा जसकंवर बनाम रामचन्द्र पूर्व में चला है जिसमें सन 1974 में राजीनामा होकर खसरा नम्बर 130/1,131,132,133,138,135,137, कुल किता 08 कुल रकबा 11 बीघा 04 बिस्वा तथा खसरा नम्बर 124 का 1/2 हिस्सा रेस्पोडेट्स को दिया गया है उक्त राजीनामा के आधार पर दिनांक 12/02/1975 को वाद डिक्री किया गया है।डिक्री का अमल नहीं होन से रेस्पोडेंट्स द्वारा सन 2001 में वाद दायर किया तथा डिक्री के पश्चात किये गये बैचान के

राजस्व अपील प्राधिकारी
जयपुर

जरिये कोई अधिकार पैदा नहीं होने का कथन किया गया है।उक्त वाद में अपीलाधीन निर्णय व डिक्री दिनांक 30–09–2002 पारित की गई है। सन 1975 में जारी की गई डिक्री को चुनौती नहीं दी गई है इसलिये वह अंतिम हो चुकी है तथा उक्त डिक्री के पश्चात किये गये समस्त हस्तान्तरण शुन्य है।इस प्रकार प्रस्तुत अपील मियाद बाहर होने से तथा गुणावगुण भी विधिक बलरहित होने से खारिज योग्य है।

6– उभयपक्ष की बहस पर मनन किया गया। अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात का अवलोकन किया गया।अधिनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन निर्णय व डिक्री पूर्व के वाद उनवानी जसकंवर बनाम बद्री मुकदमा नम्बर 279/1970 में पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 10–02–1975 के आधार पर पारित किया गया है।दिनांक 10–02–1975 के द्वारा वादीगण/रेस्पोडेंटस को वादग्रस्त आराजीयात का खातेदार घोषित किया गया था। उक्त निर्णय को कहीं पर भी चुनौती दिये जाने का कथन अपीलान्ट द्वारा नहीं किया गया हैं इस प्रकार निर्णय दिनांक 10–02–1975 अंतिम हो चुका है। उक्त निर्णय के पश्चात प्रतिवादी सख्या 01,05,06,07 व 09 को वादग्रस्त आराजीयात को विक्रय किये जाने का कोई अधिकार शेष नहीं रहा था। इन्हीं तथ्यों के आधार पर अधिनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन निर्णय व डिक्री पारित की गई है।अपीलान्ट द्वारा उक्त निर्णय के विरूद्ध दिनांक 26–02–2007 को हस्तगत अपील प्रस्तुत की गई है। अपीलान्ट द्वारा प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 05 मियाद अधिनियम प्रस्तुत कर कथन किया गया है कि निर्णय की जानकारी सर्वप्रथम दिनांक 01/02/2007 को अपीलान्ट रामनाथ द्वारा किसान केडिट कार्ड के लिये जमाबंदी की नकल लेने हेतु पटवारी के पास जाने पर हुई है। इसके प्रतिवाद में अधिवक्ता रेस्पों0 के द्वारा अपने जवाब व बहस में कथन किया गया है कि अपीलान्ट को निर्णय की जानकारी प्रारम्भ से ही रही है अपीलान्ट गंगा राम द्वारा दिनांक 25–04–2006 को बैंक से लोन लिया है तथा उस समय जमाबंदी में अपीलाधीन निर्णय की पालना में रेस्पोडेंट का नाम इन्द्राज हो चुका था। इससे स्पष्ट है कि अपीलान्ट को निर्णय की जानकारी पूर्व से ही थी। वादग्रस्त आराजी के अन्य नामान्तरकरण भी तस्दीक हुऐ है जिनकी जानकारी अपीलान्ट को रही है। रेस्पोडेन्टस के उक्त कथन का कोई स्पष्टीकरण अपीलान्ट के द्वारा नहीं दिया गया है। इसका आशय यह है कि अपीलान्ट द्वारा

राजस्व अपील अधिकरण जयपुर

प्रस्तुत अपील जानकारी के बावजूद विलम्ब से प्रस्तुत की गई है तथा विलम्ब के कोई पर्याप्त एवमं संतोषजनक कारण भी नहीं दिये गये है। न्यायिक दृष्टात एआईआर 1998 सुप्रीम कोर्ट 2276, 2017 (i) आरआरटी 117 में यह सिद्धान्त प्रतिपादित किया गया है कि पर्याप्त एवम संतोषजनक स्पष्टीकरण के अभाव में तथा मुवक्किल की निष्क्रियता ओर उदासीनता के कारण मियाद पर उदार दृष्टिकोण नहीं अपनाया जा सकता है। इस प्रकार अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र धारा 5 स्वीकार योग्य नहीं है। हस्तगत अपील मियाद बाहर होने तथा उपर्युक्त विवेचन के आधार पर विधिक बलरहित होने से स्वीकार योग्य नहीं है।अपीलाधीन निर्णय व डिक्री में किसी प्रकार के हस्तक्षेप की कोई आवश्यकता नहीं है।

7– अतः अपील अपीलान्ट अस्वीकार कर खारिज की जाती है अपीलाधीन निर्णय व डिक्री दिनांक 30–09–2002 यथावत रखे जाते है। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।

8– निर्णय आज दिनांक 09–11–2017 को सुनाया गया।

राजस्व अपील प्राधिकारी
जयपुर